बिहार रारकार सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना 15 दिनांक 6:1:2D

संख्या-7 / स्था०- 1--3-01 / 2010सा०प्र० 1.44 / भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय—समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा पर निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ -- (1) यह नियमावली बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
- बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के परिशिष्ट-'ग' का खंड 12 निम्न प्रकार 2. प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

''वही अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र होगा, जिसने लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में न्यूनतम 45% अंक, मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार में 30% अंक तथा लिखित परीक्षा (रौद्धांतिक पत्र) एवं साक्षात्कार में कुल 50% अंक प्राप्त किये हों।"

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

प्रतिलिपि:- ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र 539206.01.2020

तपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अवर संचिव।

ज्ञापांक- 7 / स्था0- 1- 3-01 / 2010सा0प्र0 144 / पटना-15, दिनांक 6 · 1 · 20 प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सभी विभाग / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-18 दिनांक 31.12.2019 के प्रसंग में / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार पटना / प्रधान सचिव के निजी सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 3, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित। 53,06.01.1020

सरकार के अवर सचिव।

Government of Bihar General Administration Department

Notification

Patna, dated .06-01-2020

No-7/Ashta-1-3-01/2010GAD/In exercise of the powers conferred by Article-233 of the Constitution of India, read with the proviso to Article-309, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Superior Judicial Service Rules-1951 (as amended time to time) on the recommendations of Hon'ble Patna High Court, Patna:-

- 1. Short title, extent and commencement.-(1) These rules shall be called the Bihar Superior Judicial Service (Amendment) Rules, 2019.
 - (2) It shall be extended to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force with immediate effect.
- 2. The clause 12 of the appedix-C of Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 shall be substituted as hereunder:-

"A candidate will qualify for appointment if the candidate secures at least 45% marks in each theory paper, 30% marks in viva-voce/interview and 50% marks in aggregate in written test (theory papers) and viva-voce taken together."

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

Copy-Forwarded to Accountant General (A & E), Bihar, Patna/Registrar General, High Court, Patna/ Principal Secretary, Cabinet secretariat with reference to Cabinet item no.-18 dated 31.12.2019/All Department/All Head of Department/Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/All District & Session Judges/Additional District & Session Judges/ Principal Private Secretary to Chief Secretary/Personal Assistant to Principal Secretary, General Administration Department, Bihar, Patna/Section Officer, Section-3, General Administration Department, Bihar, Patna and I.T. Manager, G.A.D. for information and necessary action.

Under Secretary to the Govt.